संख्या: 6/2020/925/12-2-2020-309/2007

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च 2020

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्ष 2019-20 के खरीफ तथा रबी मौसम में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित कराया जा रहा है। योजना के प्राविधानों के अनुसार फसली ऋण लेने वाले सभी ऋणी किसानों को अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी किसानों को स्वैच्छिक आधार पर कवर प्रदान किया गया है। रबी 2019-20 मौसम में किसानों की बीमा के अन्तर्गत भागीदारी की अन्तिम तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 निर्धारित रही है।

2. उल्लेखनीय है कि योजना के प्राविधानों के अनुसार बैंक शाखाओं द्वारा ऋणी किसानों की बीमित फसलों की प्रीमियम की कटौती दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक करते हुए किसानों के बीमा से संबंधित पूर्ण विवरण भारत सरकार द्वारा बनाये गये फसल बीमा पोर्टल पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्दर अपलोड किया जाना निर्धारित रहा है तथा बैंक शाखओं/पैक्स/जनसेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा पोर्टल पर विसंगति/अपूर्ण विवरण जैसा कि बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किया गया हो, के निराकरण के उपरान्त करेक्टेड विवरण को बीमा कम्पनयों को 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रेषित किया जाना निर्धारित रहा है। वर्तमान रबी 2019-20 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पोर्टल को किसानों के हित में दिनांक 07 फरवरी, 2020 तक बैंकों तथा बीमा कम्पनियों को किसानों के विवरण को अपलोड करने तथा किसी प्रकार की विसंगतियों को दूर करने हेतु संचालित कराया गया है ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के अन्तर्गत भागीदारी से वंचित न रह जाए जबकि बैंकों द्वारा ऋणी किसानों के खातों से प्रीयिम की कटौती निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व बैंक द्वारा की गयी है परन्तु किसानों के विवरण को पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है जिसके कारण कई किसानों की योजना के अन्तर्गत भागीदारी नहीं हो पायी है। योजना के अन्तर्गत बैंकों का यह दायित्व था कि किसानों के खातों से निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व प्रीमियम की कटौती करते हुए प्रीमियम की धनराशि को निर्धारित समयावधि में बीमा कम्पनियों को प्रेषित करते हुए किसानों के फसल बीमा संबंधित पूर्ण विवरण को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करते। योजना के प्राविधानानुसार नोडल बैंक/पैक्स तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ, जनसेवा केन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर कृषकवार बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने पर ही कृषक नियमानुसार बीमा कवरेज का पात्र होगा एवं तत्क्रम में ही केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम पर अनुदान की धनराशि जारी की जायेगी। नोडल बैंक/पैक्स तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ की गलतियों/विलोपनों आदि के कारण किसान के फसल बीमा के लाभ से वंचित होने की स्थिति में संबंधित संस्था द्वारा ही किसानों की हानियों की भरपाई की जायेगी।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी 2019-20 मौसम में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिन बैंकों/पैक्स द्वारा पात्र ऋणी किसानों के बीमित फसलों के प्रीमियम की कटौती अन्तिम तिथि के पूर्व की गयी है, परन्तु फसल बीमा पोर्टल पर किसान के फसल बीमा से संबंधित विवरण को अपलोड नहीं किया गया है, उन सभी बैंकों की सूची तथा बैंकवार किसानों की संख्या को प्राथमिकता पर एक सप्ताह में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा के कार्यालय अथवा उनके ई-मेल आईडी agristatup@gmail.com पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि उच्च स्तर पर बैंकों के प्रकरणों को संज्ञान में लोते हुए संबंधित बैंकों का दायित्व निर्धारित कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 6/2020/925(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. डॉ0 आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।